Speed Post

No. 11/2/2014 – VS (CRS)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय / MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

Tele-fax: 26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in Dated: 25-03-2015,

To

All Chief Registrar of Births & Deaths and

Sub: Irregularities and corrupt practices in registration of birth and death and issuance of certificates thereof.

Sir,

As you are aware that registration of births and deaths are being done under the provisions of Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969 and the corresponding Rules & order made thereunder. As per the provisions of Section 7 and 21 of the RBD Act, every birth (including still birth) and death are required to be registered by the concern registering authority which was occurred in his jurisdiction. Further, under the provision of Section 12 of the said Act, Registrar is required to issue the relevant extract /certificate from the birth /death registers to the informant as soon as registration is complete.

2. You may be agreed that despite the mandatory provisions of registration and issuance of extract / certificate under the Act, it has been observed that public is facing problem in registering an event of birth and death and obtaining the desired birth/ death certificate. This office has received several complaints/ representations in respect of corrupt practices being followed in many states in the system of registration of births and deaths. It has also been noticed that for getting birth or death certificates, bribes are paid to the registration functionaries. The complaints regarding these corrupt practices have been reached up to the Prime Minister's Office and PMO has taken it very seriously.

3. In order to streamline the successful and citizen friendly civil registration system, you are requested to take concrete efforts and make suitable steps to

prevent the bribery under the existing system of registration of births and deaths and in issuance of extract/ certificates. So that general public will not suffer in obtaining birth / death certificate within the stipulated time limit.
The State Governments are required to take the following essential steps:

i. To take strict disciplinary action against the person involved in any corrupt practice in the work of registration of birth and death and issuance of certificate to the public. The option of legal proceedings should also be considered.
ii. A transparent system on registration of birth and death should be placed , wherein time limit should be prescribed for registration (including delayed registration) and issuance of birth/ death certificates.
iii. A transfer policy has to be evolved particularly for those who are involved in public dealing in respect of registration of birth and death work. Any such person should not be allowed on a same seat for more than 3 years.
iv. The penalties as prescribed under Section 23 (2) of the RBD Act should be imposed on any Registrar or Sub- Registrar who neglects or refuses, without any reasonable cause to register any birth or death occurring in his/ her jurisdiction or not to submit any prescribed monthly return.

4. You are requested to take necessary steps in this regard on priority basis. This office may be appraised about the action taken in the matter, a copy of the direction issued in this regard to the registration authorities may be sent to this office.

Yours faithfully,

(P.A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

हिन्दी रूपान्तर

सं.11/2/2014-वीएस-(सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग,पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

दूरभाष-26104012 ,ई-मेल-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 25.03.2015

सेवा में,

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

IndiaCode

विषय: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा उसका प्रमाण पत्र जारी करने में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्ट तरीके अपनाना ।

महोदय,

जैसाकि आप जानते हैं जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा किए गए आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । आरबीडी अधिनियम की धारा 7 और 21 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा ऐसे सभी जन्म (मृत जन्म सहित) और मृत्यु का पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है जोकि उसके क्षेत्राधिकार में हुए हों । इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अन्तर्गत पंजीकरण का कार्य संपन्न होते ही रजिस्ट्रार द्वारा सूचनादाता को जन्म/मृत्यु रजिस्टरों से संबंधित उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किया जाना भी अपेक्षित है ।

2. आप इस बात से सहमत होंगे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद भी यह देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में तथा वांछित जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है । इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तन्त्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध में अनेक शिकायतें/ अभ्यावेदन अनेक राज्यों से प्राप्त हुए हैं । यह भी देखा गया है कि जन्म और मृत्यु के प्रमाणपत्र प्राप्त

करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं को घूस दी जा रही है । भ्रष्टाचार की ये शिकायतें प्रधान मंत्री कार्यालय तक पहुंची हैं और प्रधान मंत्री कार्यालय ने इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है ।

3. सफल और नागरिक अनुकूल सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली को दोष रहित बनाने के लिए आपसे जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण तथा उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी करने के वर्तमान तन्त्र के अन्तर्गत व्याप्त घूसखोरी को रोकने के लिए ठोस प्रयास करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है । ताकि आम जनता को निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े । राज्य सरकारों से यह अनुरोध है कि इस दिशा में निम्न कदम उठाए जाएं :-

i. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अथवा जनता को प्रमाणपत्र जारी करने के संबध में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करना । कानूनी कार्यवाही के विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए ।
ii. जंन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें पंजीकरण (विलम्बित पंजीकरण सहित) करने और जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंधमें समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।
iii. एक स्थानांतरण नीति तैयार की जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कर्मियों के लिए जोकि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कार्य में प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हैं । ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
iv. अपने क्षेत्राधिकार में होने वाले किसी भी जन्म अथवा मृत्यु का बिना किसी उचित कारण के पंजीकरण करने की अनदेखी करने अथवा मना करने वाले अथवा निर्धारित मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने वाले किसी भी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार पर आरबीडी अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत निर्धारित शास्तियां लगाई जानी चाहिए ।

4. इस संबंध में आपसे प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है । इस मामले में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए, इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीया,

पी॰ ए॰ मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

IndiaCode